188 178

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

134783

ADVOCATE, Ranchi

ADVOCATE, Ranchi

बिहार नियम 21 के अधीन छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की धारा 46 के अधीन भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची 1 या 1 क सं. 23 के अधीन यथोचित स्टाम्प (स्टाम्प शुल्क से विमुख या स्टाम्प शुल्क आपेक्षित नहीं)

निबंधन पदाधिकारी
शहरी क्षेत्र-3, कांके, रॉंची
28.2.12

Sale deed
36,75,000

Bhitha / Bhelka
... 156531
19153
31,04,509
Father Name ...
Stamp 147000 600
5,49,600

विक्रय पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक-28/02/2012 को इस प्रकार सम्पन्न होता है।

विक्रेतागण का नाम एवं पता : (1) प्रवीण कुमार मिश्रा पिता-रामबहाल मिश्रा, पैन नं०-AGBPM 0926C, जाति-ब्राह्मण, वो (2) मुकेन्द्र कुमार पिता-हरिवंश लाल, पैन नं०-DSQPS 9930C, जाति-लाला कायस्थ, धर्म-हिन्दु, पेशा-व्यापार, निवास स्थान ग्राम-भीठा, थाना-बीन्दा, जिला-रॉंची, राज्य-झारखण्ड, राष्ट्रीयता-भारतीय नागरिक।

मुकेन्द्र कुमार 28/02/2012

तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

For Linkline Marketing Private Limited

Director

GAUTAM KUMAR
RNC/ARL/0036/2019

Scanned with CamScanner

No. 15535 Date 27/02/12

Non Judicial Stamp - worth Rs. 147000/— श्री लिंक लाइन मार्केटिंग प्रा० लि०

Stamps of Rs 25000 × 5 + 10,000 × 2 ...

Ranchi Treasury, Ranchi

ADVOCATE, Ranchi

प्रवीर कुमार मिश्रा
28/02/2012

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

ता. 28.2.2012 के पुर्वाह्न/अपराह्न 10 से अवर निबंधन कार्यालय ... श्री प्रवीर कुमार मिश्रा पिता ... निवासी ... जाति ... पेशा ... जो ... मुख्तारनामा सं. ... के अभिकर्त्ता हैं ने ... निबंधन ...

निबंधन पदाधिकारी
शहरी क्षेत्र-3, कांके, रांची

अवर निबंधक शहरी क्षेत्र-3 (कांके) रांची, झारखण्ड

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

For Linkline Marketing Private Limited

Director

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

134784

-: 2 :-

क्रेता का नाम एवं पता : लिंक लाईन मार्केटिंग प्रा० लि० 2 गणेश चन्द्रा एभेन्यु सेकेन्ड फ्लोर कलकत्ता प० बंगाल पिन नं०-700012 द्वारा निर्देशक- विक्रम जैन पिता-श्री उमेदमल जैन, पैन नं०-ACEPJ 0800F जाति-जैन, धर्म-जैन, पेशा-व्यापार, निवास स्थान ग्राम-शक्ति पेट्रोल पम्प पोद्दार बगान, हरमू रोड राँची, थाना-सुखदेवनगर, जिला-राँची, राज्य-झारखण्ड, राष्ट्रीयता-भारतीय नागरिक।

लेख्य प्रकार :- पट्टा विक्रय पत्र आज दिनांक से हमेशा के लिये जिसका वार्षिक लगान 1 रूपया आलावे शेष।

सम्पत्ति का मूल्य :- 36,75,000/रु०- (छत्तीस लाख पचहत्तर हजार) रु० मात्र।

लगान पानेवाला :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल पदाधिकारी शहर अंचल, राँची, जिला-राँची।

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

For Linkline Marketing Private Limited

Director

Scanned with CamScanner

3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

134785

-: 3 :-

सम्पत्ति का विवरण :- मवाजी रकबा-12(बारह) कट्ठा भूमि मय मकान स्वत्व हक रैयती खरीदगी, अपना-अपना हक वो हिस्सा का वाके मौजा-भिट्ठा, थाना-गोन्दा, थाना नं0-187, जिला-राँची जो जिला निबंधन सह जिला अवर निबंधन कार्यालय रांची के अन्तर्गत पड़ता है। अन्दर आर0एस0

खाता नं0	प्लॉट नं0	सब प्लॉट नं0		रकबा
65	122	122/पार्ट		12कट्ठा
			=	19.83डी0

खाता नं0- पैसठ, प्लॉट नं0-एक सौ बाईस, रकबा-बारह कट्ठा भूमि मय मकान बिक्री हो रहा है। जो ट्रेस नक्शा में लाल रंग से रंगकर दर्शाया गया है। नक्शा बिक्रय पत्र के साथ संलग्न है, जो इस बिक्रय पत्र का अभिन्न अंग है, जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है:-

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

For Linkline Marketing Private Limited

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

134786

-: 4 :-

चौहद्दी

उत्तर	–	प्लॉट नं0–122 का अंश
दक्षिण	–	प्लॉट नं0–111 वो 125 का अंश
पूरब	–	प्रस्तावित रास्ता
पश्चिम	–	प्लॉट नं0–111

विदित हो कि खाता नं0– 65, आर0एस0 के खतियान में बुधना मुण्डा के नाम से कायमी दर्ज है।

विदित हो कि बुधना मुण्डा अपने पीछे एक मात्र पुत्र जतरू मुण्डा को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। तथा जतरू मुण्डा अपने पीछे दो पुत्र बंधना मुण्डा वो कोका मुण्डा को छोड़कर स्वर्गवास हो गये।

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

For Linkline Marketing Private Limited

Director

Scanned with CamScanner

5

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

134787

-: 5 :-

यहाँ भी विदित हो कि कोका मुण्डा वगैरह बनाम प्रवीण कुमार मिश्रा वगैरह, के विरूद्ध भूमि वापसी हेतु श्री देवनीश किड़ो विशेष विनियम पदाधिकारी, राँची, के न्यायालय में धारा 71(ए) के अधीन मुकदमा दाखिल किया गया जिसका एस0ए0आर0 वाद सं0–83/06–07ई0 है। उस मुकदमा में विपक्षी प्रवीण कुमार मिश्रा वगैरह के पक्ष में दिनांक–14/12/2006ई0 को (कम्पनसेसन) क्षतिपूर्ति का आदेश पारित होने के उपरान्त क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान जमीन मालिक को किया गया। जिसका क्षतिपूर्ति भुगतान दिनांक–03/05/2007ई0 को प्राप्त किया गया।

विदित हो कि उपरोक्त भूमि को न्यायालय द्वारा प्राप्त करने के बाद विक्रेतागण अंचल कार्यालय शहर अंचल में दाखिल खारिज अपने–अपने नाम से करवा चुके है। प्रवीण कुमार मिश्रा का दाखिल खारिज वाद संख्या–4837आर27/2011–2012 वो मुकेन्द्र कुमार का दाखिल खारिज वाद संख्या–4841आर27/2011–2012 है तथा अचंल कार्यालय के भोलुम नं–XI, पेज नं0 क्रमशः–174 वो 178 से प्रति वर्ष विक्रेतागण के नाम से लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है। इस तरह विक्रय भूमि बिक्रेतागण का अपना भूमि जिसपर बिक्रेतागण शांतिपूर्णरूप से दखलकार है तथा अपना–अपना हक वो हिस्सा का भूमि को क्रेता के नाम से विक्रय पत्र निबंधन करते है जो उचित एवं न्यायसंगत है।

GAUTAM KUMAR
DMC/ARC/0036/2019

For Linkline Marketing Private Limited

Director

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05AA 387112

-:संदर्भः-

विदित हो कि मुझ बिक्रेतागण को रुपये की अत्यंत आवश्यकता आ पड़ी है और इस समय ऊपर वर्णित भूमि को बिक्री किये बिना रुपये का प्रबंध करना कठिन है। अतः बिक्रेतागण अपनी उपर्युक्त भूमि को क्रेता से मो036,75,000/रु0-(छत्तीस लाख पचहत्तर हजार) रुपये मूल्य में बिक्री करने की बात किय और क्रेता महोदय भी इस मूल्य पर उपर्युक्त सम्पत्ति को क्रय करने को तैयार हुए। यह मूल्य इस समय का बाजारानुसार उचित और यथेष्ठ मूल्य है।

विदित हो कि अब तक जिस प्रकार का स्वत्व, अधिकार, स्वामित्व, प्रभुत्व, दखल, कब्जा मुझ बिक्रेतागण का था या होता सो सब बिक्रेतागण से विलग होकर क्रेता को प्राप्त हुआ एवं भविष्य मे होगा।

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

For Linkline Marketing Private Limited

Director

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक
10000रु. Rs.10000
10000 रु. Rs.10000
10000रु. Rs10000
दस हजार रुपये
RUPEES TEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

05AA 387113

-: 7 :-

विदित हो कि अब से क्रेता ऊपर वर्णित सम्पत्ति पर पूर्णरूपेण दखल कब्जा वो स्वामित्व लेकर जिस प्रकार का भोग वो अमल में लावें या समय जरूरत पड़ने पर इस सम्पत्ति को बिक्री, बंधक, वसीयत, बख्शीस आदि करें तो उस पर बिक्रेतागण को कोई आपत्ति नही है और ने भविष्य में होगा।

विदित हो कि अब क्रेता उपर वर्णित सम्पत्ति पर अपने लाभ के लिए उसपर बाग-बगीचा लगावे, चहार दिवारी, लगावे, कुआं खोदवाये, मकान बनावें एवं अपने इच्छानुसार जैसा मनपसन्द हो कार्य करे। इस पर बिक्रेतागण को कोई आपत्ति नही है और न भविष्य में होगा।

विदित हो कि अब से क्रेता अंचल कार्यालय शहर अंचल जिला-रांची में अपना नामांतरण कराकर प्रत्येक वर्ष मालगुजारी देते हुए स्वयं अपने नाम से रसीद लिया करेंगे।

विदित हो कि बिक्री की जा रही सम्पत्ति पर किसी प्रकार का ऋणभार, मामला-मुकदमा, झगड़ा-झंझट नहीं है और स्वामित्व में भी कोई दोष नहीं है।

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

For Linkline Marketing Private Limited

Director

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

840974

अतः समझ बुझ कर अपने तनमन की स्वस्थ्य अवस्था में साक्षियों के समक्ष मूल्य-36,75,000/रु0- (छत्तीस लाख पचहत्तर हजार) रुपये प्राप्त करके पट्टा विक्रय पत्र लिख दिया जो समय पर काम आवे।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन खतियान के अनुसार सरकारी जमीन नहीं है, न ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक कार्यो के लिये किया गया है, न ही भूदान की जमीन है। यह वन सीमा से बाहर है तथा बी.सी.सी.एल. या ई.सी.एल. की जमीन नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह भूमि आदिवासी खाते की है लेकिन अभी आदिवासी से संबंधित नहीं है। जमीन सिलिंग से मुक्त है। जमीन मठ, मंदिर, गिरजा, मस्जिद, सरना, मसना, हड़गड़ी, पहनई, भूमि घोटाला वो पशुपालन घोटाला की नहीं है।

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

For Linkline Marketing Private Limited

Director

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

9

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

840925

-: 9 :-

मकान का विवरण

1.	क्या कच्चा है या पक्का	:-	कच्चा
2.	यदि पक्का है तो खपरेल या प्रचलित कंक्रीट का	:-	कच्चा खपड़पोस
3.	मंजिलों की संख्या	:-	नहीं
4.	प्रत्येक मंजिल या फर्श या क्षेत्र के साथ भवन में प्रत्येक फर्श या मंजिल का कुसी का क्षेत्रफल	:-	600 वर्गफीट
5.	निर्माण वर्ष	:-	1946
6.	भवन की स्वच्छता बिजली संबंधी और अन्य फिटींग के प्रकार और गुणवत्ता का संक्षिप्त वर्णन	:-	साधारण
7.	क्षेत्र जहाँ भवन निर्मित है और उसका आवासीय, व्यवसायिक या औद्योगिक उपयोग	:-	आवासीय
8.	यदि किराया पर लगा हो तो उसका मासिक किराया	:-	नहीं
	भूमि का मूल्य	:-	31,21,000/-
	600 वर्ग फीट कच्चा खपड़पोस मकान का मुल्य	:-	5,54,000/-
	कुल मूल्य	:-	36,75,000/-

28/02/2012

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

For Linkline Marketing Private Limited

Director

Scanned with CamScanner

अनुसूची 14 फारम नं0-563 (4)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी ...	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख के साथ

न्यायालय, श्री देवनीश मिश्रो, वि0वि0नियमन पदा0, रांची

एस·ए·आर·वाद सं· 03/06-07

कोका मुण्डा वगैरह - आवेदकगण

बनाम

प्रवीण कुमार मिश्रा वगैरह - विपक्षीगण

आदेश

भूमि - वापसी का यह वाद की कार्यवाही आवेदकगण (1) कोका मुण्डा पिता-स्व0 संधना मुण्डा (2) पवन मुण्डा, पिता-कोका मुण्डा वो (3) सोमारी मुण्डाईन पति-स्व0 राजू मुण्डा, पता-ग्राम-भीठा, थाना-गोन्दा, जिला-रांची के लिखित आवेदन-पत्र पर संधारित किया गया है, जो मौजा-भीठा, थाना-गोन्दा, थाना नं· 187, जिला-रांची अन्तर्गत खाता नं· 65 प्लाट नं· 122 रकवा-70 कट्ठा भूमि को खतियानी रैयत बताते हुए वापसी हेतु छोटानागपुर काश्तकारी-अधिनियम की धारा 71(ए) के अन्तर्गत विपक्षीगण (1) प्रवीण कुमार मिश्रा, पिता-रामबहाल मिश्रा, रकवा-5 कट्ठा (2) चितरंजन, पिता-स्व0 जगतनारायण प्रसाद, रकवा-7 कट्ठा (3) मुकेश कुमार पिता-हरिवंशलाल, रकवा-5 कट्ठा (4) अभिलाषा देवी, पति-स्व0 बृजकिशोर सिंह, रकवा-4 कट्ठा (5) प्रेम कुमार, पिता-स्व0 जे0 एन0 प्रसाद, रकवा 4 कट्ठा (6) प्रमिला देवी, पिता-स्व0 उमाशंकर शर्मा, रकवा 7 कट्ठा (7) ममता कुमारी, पिता-हरिवंश लाल रकवा 4 कट्ठा (8) पंकज कुमार, पिता-स्व0 बी·के· सिंह, रकवा 7 कट्ठा (9) सुधा मिश्रा, पति रामबहाल मिश्रा, रकवा 7 कट्ठा (10) मितू सिंह, पति-संजय कुमार, रकवा 4 कट्ठा (11) मुकेन्द्र

Attested by
Shamim Akhtar
ADVOCATE, Ranchi

Certified Photocopy
Compared by me

Linkline Marketing Private Limited
Director

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

COURT FEE 10

Scanned with CamScanner

अनुसूची 14 फारम नं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
	:-2-:	

कुमार, पिता-हरिवंश लाल रकवा 7 कट्ठा एवं (12) कुन्दन कुमार, पिता स्व0जगतनारायण प्रसाद रकवा-4 कट्ठा (13) संजय कुमार, पिता-किशोरी सिंह रकवा 5 कट्ठा सभी निवास- भीठा, थाना-गोन्दा ,जिला-रांची के विरूद्ध प्रारम्भ की गई है ।

आवेदकों ने खतियान की छायाप्रति प्रस्तुत किया है। आवेदकगण शपथ- पत्र दाखिल किया है, जिसमें खतियान की वंशावली निम्न प्रकार है - बुधना मुण्डा (खतियानी रैयत)

जतरू मुण्डा

बंधना मुण्डा — कोका मुण्डा

राजू मुण्डा (मृत) — पवन मुण्डा (आवेदक)

सोमारी मुण्डाईन

विपक्षीगण को विधिवत् कारण-पृच्छा एवं विवादी भूमि से संबंधित दस्तावेज दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई । विपक्षीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कारण-पृच्छा समर्पित किया गया। विपक्षीगण ने शपथ- पत्र द्वारा अपना ब्यान दिया है, विपक्षीगण द्वारा दिये गये ब्यान का प्रतिपरीक्षण किया गया। विपक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में बतलाया है कि उनके कब्जे में विवादी भूमि पर पक्का मकान बना हुआ है, जो लगभग 40-45 वर्ष पुराना है एवं उनके पिताजी के समय से ही घर बना हुआ है।

आवेदकों ने भी शपथ- पत्र के माध्यम से अपना ब्यान दिया है । जिसपर प्रतिपरीक्षण किया गया। आवेदकों ने बतलाया है कि विपक्षीगण ने नाजायज रूप से भूमि हड़प कर मकान बना लिया है । साथ ही आवेदन

::/2

For Linkline Marketing Private Limited
Copy
Director

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

ADVOCATE, Ranchi

COURT FEE INDIA

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

(5)

में स्वीकार किया है कि विपक्षीगण का मकान काफी पूर्व से बना हुआ है ।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस समर्पित किया गया है जो अभिलेखबद्ध है ।

विपक्षीयों का कहना है कि विवादी भूमि उनके पिताजी के द्वारा आवेदकों के दादा से विक्रीनामा द्वारा वर्ष 1945 ई0में उस समय के प्रचलित दर से क्रय किया गया है एवं प्रश्नगत भूमि का क्रय आवेदकों के दादा खतियानी रैयत जतरू मुण्डा,पिता- बंधना बंधना मुण्डा से रुपये 80 एवं 90 रुपये में खरीद कर हासिल किया था,जमीन क्रय करने के पश्चात् उनके पिता ने वर्ष 1945 में उस पर कच्चा मकान का निर्माण किया तथा उस कच्चा मकान के निर्माण से सपरिवार रहते आ रहे हैं एवं इसके अतिरिक्त उनके मकान का नवीकरण किया गया तथा उक्त आवासीय मकान में सपरिवार प्रीतिपूर्वक रहते आ रहे है ।

इस प्रकार छोटानागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1969 के लागू होने के बहुत पूर्व ही विवादी भूमि का अन्तरण हुआ है । यदि इस अन्तरण में किसी प्रकार का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तो प्रश्नगत भूमि के अन्तरण को विधि मान्यता देने पर वे जमीन का उचित मुआवजा भुगतान करने के लिये तैयार है ।

आवेदकों द्वारा विवादी भूमि मौजा- भीठा थाना-गोन्दा का खतियान की छायाप्रति समर्पित किया गया है,जिसमें विवादी भूमि बंधना मुण्डा के नाम से कायमी दर्ज है । तथा वंशावली दर्शाया है । उक्त खतियानी की छायाप्रति ,रसीद एवं वंशावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकों खतियानी रैयत के जायज वंशज वो उत्तराधिकारी है ।

उक्त तथ्यों की विवेचना करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादी भूमि का अन्तरण छो0का0अधि0के प्रावधानों का उल्लंघन

Certified Photo Copy
Compared by me

For Linkmoon Marketing Private Limited
Director

Shamim Akhtar
ADVOCATE Ranchi

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

कर लिया गया है। बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधि० 1969 के लागू होने के पूर्व ही विवादी भूमि पर विपक्षीगण द्वारा आवासीय संरचना या भवन का निर्माण कर लिया गया था। आवेदकों विवादी भूमि से 30 वर्ष से अधिक अवधि से बेदखल है।

विपक्षीगण की ओर से यह कहा गया है कि लिमिटेशन के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई आदेश पारित किये गये है, जिसके तहत any time को 30 वर्षों तक सीमित किया गया है। जो कि वाद कालबाधित है। विपक्षीगण द्वारा सिविल अपील 2414-15 ऑफ 1999 सीटू साहु बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड एवं अन्य respondents का हवाला दिया गया है।

Chotanagpur Tenancy Act 1908 Section 71 A and 71 B Limitation Act 1963. Article 65- Restoration of land-To the member of schedule tribes and khatiyani holders-sustainability of power under section 71 A could been exercised only within a reasonable time-excercise of power after the lapse of 40 years against the period of 30 years. Limitation of 30 years under the limitation act not reasonable time for application for restoration-- not maintainable---dismissed.

किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील नं 955/91 पाण्डेय उरांव बनाम रामचन्द्र साहु में पारित आदेश के पारा 6 ए. में कहा गया है कि - The provision is beneficial and legislative intention is to extent protection, to a class of citizen who are not in a position to keep their property to themselves in

...

For Linkline Marketing Private Limited

Director

Certified True Copy
Compared by me.

Attested by
Shamim Akhtar
ADVOCATE, Ranchi

GAUTAM KUMAR

Scanned with CamScanner

क्रमांक	विपक्षी का नाम एवं पता	बैंक ड्राफ्ट एवं दिनांक	क्षतिपूर्ति राशि	आवेदक
8.	मुकेन्दर कुमार पिता–हरिवंश लाल निवासी–तदैव	166911 15.02.07	40,000/– (चालीस हजार) रू0 मात्र (A/C Payee)	सोमारी मुण्डाईन
	–तदैव –	163922 15.02.07	40,000/– (चालीस हजार)रू0 मात्र (A/C Payee)	सोमारी मुण्डाईन
	–तदैव –	166923 15.02.07	40,000/– (चालीस हजार)रू0 मात्र (A/C Payee)	सोमारी मुण्डाईन
	–तदैव –	166557 05.02.07	25,000/– (पच्चीस हजार)रू0 मात्र (A/C Payee)	कोका मुण्डा
	–तदैव –	166558 15.02.07	25,000/– (पच्चीस हजार)रू0 मात्र (A/C Payee)	कोका मुण्डा
	–तदैव –	166563 05.02.07	30,000/– (तीस हजार)रू0 मात्र (A/C Payee)	पवन गाड़ी
	–तदैव –	166565 05.02.07	25,000/– (चालीस हजार)रू0 मात्र (A/C Payee)	पवन गाड़ी
		166566 05.02.07	25,000/– (पच्चीस हजार)रू0 मात्र (A/C Payee)	पवन मुण्डा
	–तदैव –	166568 05.02.07	25,000/– (पच्चीस हजार)रू0 मात्र (A/C Payee)	कोका मुण्डा

सभी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट देना बैंक रांची का है।

Certified Photo Copy
Compared by me

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

For Linkline Marketing Private Limited
Director

Shamim Akhtar
ADVOCATE Ranchi

Scanned with CamScanner

15

न्यायालय, श्री देवनीश किड़ो, वि०वि०पदा०, रांची ।

एस॰ए॰आर॰वाद सं०- 83-ए/06-07

अनुसूची 14 फारम नं0-563

धारा 71(ए) छो०का०अधि० 1908के अन्तर्गत

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर कोका मुण्डा वगैरह बनाम् प्रवीण कुमार मिश्रा	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
	अभिलेख उपस्थापित किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता के द्वारा भूमि विनियमित करने हेतु अनुरोध- पत्र दाखिल किया है । इस वाद में दिनांक 14.12.2006को आदेश पारितकर छो०का०अधि०की धारा 71(ए) के II परन्तुक के तहत् 40,000/-(चालिस हजार रुपया)मात्र प्रति कट्ठा की दर से निर्धारित क्षतिपूर्ति राशिबैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदक को भुगतान करने का आदेश दिया गयाहै । विपक्षी द्वारा रकवा 5 कट्ठा भूमि का पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि कुल 2,00,000/-(दो लाख रुपया) आवेदक- कोका मुण्डा, पिता-स्व०बंधना मुण्डा वो पवनगाड़ी, पिता-स्व० कोका मुण्डा वो सोमारी मुण्डाईन, पति-स्व० राजू मुण्डा, पता- भीठा, थाना-गोन्दा, जिला-रांची को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदक के अधिवक्ता एम॰के॰दास के उचित पहचान पर भुगतान कर चुके हैं । यह राशि आवेदक के बचत खाता सं0- 1266100315 , 1266100..240 एवं 12661003247 देना बैंक, रांची में - में जमा किया गयाहै, जिसकी छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक का पूर्ण भुगतान विपक्षी द्वारा किया जा चुकाहै । अतः विपक्षी- प्रवीण कुमार मिश्रा, पिता- रामबहाल मिश्रा, -पता- भीठा, थाना-गोन्दा, जिला-रांची अन्तर्गत मौजा-भीठा, थानानं- 197 खाता नं- 85 प्लॉट नं- 122 रकवा-5 कट्ठा भूमि विपक्षी के नाम से विनियमित किया जाता है । Sd/-	

CERTIFIED TO BE TRUE COPY

Record Keeper/Incharge Clerk
Dist.Record Room, Ranchi

3/5/07
विशेष विनियमन पदा0, रांची

Attested by
Shamim Akhtar
ADVOCATE, Ranchi

Certified Photo Copy
Compared by me

For ... Private Limited
Director

GAUTAM KUMAR
JC/ARC/0636/2019

Scanned with CamScanner

the absence of protection. Therefore when the legislature is extending special protection to the named category, the court has to give a liberal construction to the protective mechanism which would work out the protection and enable the sphere of protection to the effective than limit the scope."

अतः उपर्युक्त स्थिति में छोटानागपुर काश्तकारी अधि० की धारा 71(ए) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की तारीख से तीन माह के अन्दर आवेदकों को विवादी भूमि के आस-पास यथा स्थिति सम मूलवाली का कोई दूसरी भूमि उनके पुर्नवास के लिये उपलब्ध करावें अथवा प्रति कट्ठा 40,000/-(चालिस हजार) मात्र रुपये की दर से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से न्यायालय के समक्ष पूर्ण मुआवजा का भुगतान आवेदकों को करें। यदि निर्धारित मियाद के अन्तर्गत उक्त आदेश का अनुपालन विपक्षी द्वारा नहीं किया जाता है तो विवादी भूमि आवेदकों को वापस समझी जायेगी और तदनुसार आवेदकों को प्रश्नगत भूमि पर दखल-कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जायेगी।

14.12-06

विशेष विनियमन पदा०,
रांची।

CERTIFIED TO BE TRUE COPY
Record Keeper Head Clerk
Record Room Ranchi

Certified Photo Copy
Compared by me

Attested by

GAUTAM KUMAR
JMC/ARC/0036/2019

For Linkline Marketing Private Limited
Director

Shamim Akhtar
ADVOCATE, Ranchi

Scanned with CamScanner

न्यायालय, श्री देवनीश किड़ो, विशेष विनियमन पदा0, रांची ।

स्स॰ए॰आर॰वादसं॰ -- 83./06-07 ॥क्षतिपूर्ति राशि का विवरणी॥

क्र0	आवेदक का नाम	विपक्षी का नाम	ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा	प्रति कट्ठा	कुल राशि	भुगतान राशि	भुगतान की तिथि	बैंक ड्राफ्ट सं0 तिथि बैंक का न
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कोका मुण्डा, पिता-स्व0बंधनामुण्डा, पवन नाड़ी, पिता-कोका मुण्डा वो तोमारी मुण्डाईन, पति-स्व0 राजु मुण्डा, पता-भौंरा, थाना-गोन्दा, रांची ।	प्रवीण कुमारमिश्रा पिता-रामबहालमिश्रा, पता-भौंरा, थाना-गोन्दा, जिला-रांची	भौंरा	65, 187	122	5 कट्ठा	40,000/-	2,00,000/-	40,000/-		166586/14-02-07
									40,000/-		166593/14-02-07
									40,000/-		166928/15-02-07
									40,000/-		166922/15-02-07
									40,000/-		166569/14-02-07

कुल= 2,00,000/- ॥दो लाख रुपया॥ मात्र ।

सभी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट देना बैंक, रांचीका है ।

भी॰ओ॰एस॰

7/5/07

विशेष विनियमन पदा0, रांची ।

Attested by
Shamim Akhtar
ADVOCATE, Ranchi

CERTIFIED TO BE TRUE COPY
Record Keeper/Head Clerk
Dist. Record Room, Ranchi

Certified Photo Copy
Compared by me

For Inkline Marketing Private Limited
Director

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

Scanned with CamScanner

निबंधन विभाग, झारखंड
रांची शहरी क्षेत्र 3
जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

ken No: 7

Token Date/Time: 28/02/2012 15:03:42

ocument Type	Sale Deed	Presenter	Praween Kumar Mishra		
resenter' Name & Address	Bhitha Gonda Ranchi			Date of Entry	28/02/2012
ampable Doc. Value	3675000	DOE		Total Pages	42
ocument Value	3675000	Stamp Value	147000	Book	I
pecial Type		Serial No.		CNO/PNO	
emarks / Other Details	Sub Plot No = Part				

roperty Details:

Anchal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	H No	Category	Area	Min. Value
Ranchi Shahar	187	2	Bhitha /Bhitha	65	122	RSP		OR_RES	19.83 Decimal	3104009.73

Other Property Details:

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount
OR_KACCHA	187	2	Bhitha /Bhitha	Ranchi	600	915 Sq. Ft.	549000

Party Details:

SN	P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Caste	PAN/F 60	Address
1	VENDOR	Praween Kumar Mishra	Rambahal Mishra	Business	Other	Agbpm0926c	Bhitha Gonda Ranchi
2	VENDOR	Mukendra Kumar	Harivansh Lal	Business	Other	Dsqps9930c	Bhitha Gonda Ranchi
3	VENDEE	Link Line Marketing Pvt.Ltd. Thro Dir. Vikaram Jain	Umedmal Jain	Business	Other	Acepj0800f	Shakti Petrol Pump Poddar Bagan Harmu Road Sukhdeonagar Ranchi
4	Identifier	Chitranjan	Late Jagatnarayan Prasad	Business	Other	Not Req.	Bhitha Gonda Ranchi

Fee Details:

SN	Description	Amount
1	LL	2.50
2	PR	0.94
3	A1	110,250.00
4	SP	630.00
Total		110,883.44

प्रवीण कुमार मिश्र

उपरयुक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यो के अनुरूप है ।

प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर

निबंधन पूर्व सारांश में इंपुट फार्म के अनुरूप डाटा इंट्रि की गई है ।

डाटा इंट्रि ऑपरेटर का हस्ताक्षर 28-2-12

उपरयुक्त 1) प्रवीण कुमार मिश्रा, 2) मुकेन्द्र कुमार ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष स्वीकार किया

जिसकी पहचान चित्रंजन पिता स्व० जगतनारायण प्रसाद

नियासी ओटा पेशा व्यापार ने की ।

28/02

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2010

For Linkline Marketing Private Limited

Director

प्रवीण कुमार मिश्र

मुकेन्द्र कुमार

Siddharth Jain

आज दिनांक 28/02/2012ई0 मुकाम रांची।

गवाह का हस्ताक्षर

1. बाएं हाथ का अंगूठा कोका मुण्डा

कोका मुण्डा पिता–स्व0 बंधना मुण्डा
ग्राम–भीठा, थाना–गोन्दा, जिला–राँची

2. पवन मुण्डा
28/02/2012
पवन मुण्डा पिता–कोका मुण्डा
ग्राम–भीठा, थाना–गोन्दा, जिला–राँची

3. बाएं हाथ का अंगूठा सोमारी मुण्डाइन
पति–स्व. राजू मुण्डा
ग्राम–भीठा, थाना–गोन्दा
जिला–राँची

बिक्रेता का हस्ताक्षर

पवन कुमार
28/02/2012

मुकेश कुमार
28/02/2012

क्रेता का हस्ताक्षर, फोटो एवं उगलियों के निशान

28/02/2012

ADVOCATE, Ranchi

कनिष्क	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है के बॉयें हाथ के उंगलियों के निशान मेरे द्वारा/मेरे सामने लिए गये है।

ड्राफ्टकर्त्ता:
ADVOCATE, Ranchi
तारीख 28/02/2012

For Linkline Marketing Private Limited
Director

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

Scanned with CamScanner

Indexing

20

निबंधन विभाग, झारखंड

रांची शहरी क्षेत्र 3

Token No.7 Token Date: 28/02/2012 15:03:42
Serial/Deed No./Year :188/178/2012
Deed Type: Sale Deed

SN	Party Details	Photo	Thumb
1	**Praween Kumar Mishra** Father/Husband Name:Rambahal Mishra (VENDOR) Bhitha Gonda Ranchi		
2	**Mukendra Kumar** Father/Husband Name:Harivansh Lal (VENDOR) Bhitha Gonda Ranchi		
3	**Link Line Marketing Pvt.Ltd. Thro Dir. Vikaram Jain** Father/Husband Name:Umedmal Jain (VENDEE) Shakti Petrol Pump Poddar Bagan Harmu Road Sukhdeonagar Ranchi		
4	**Chitranjan** Father/Husband Name:Late Jagatnarayan Prasad (Identifier) Bhitha Gonda Ranchi		

Book No.	I
Volume	8
Page	373 To 414
Deed No	188/178
Year	2012
Date	28/02/2012 15:51:11

District Sub Registrar
28.02.2012

Signature of Operator 28.2.12

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

For Linkline Marketing Private Limited
Director

Scanned with CamScanner

VILLAGE · BHITHA THANA NO 187
THANA GONDA DIST · RANCHI
R.S. PLOT NO 122 KHATA NO 65
AREA SHOWN IN RED WASH

SUB PLOT NO	AREA
122/PART	12 KATHA

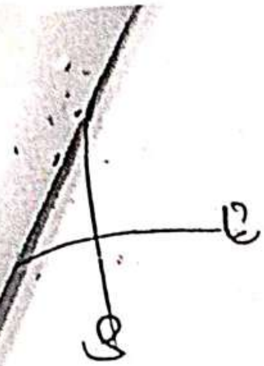

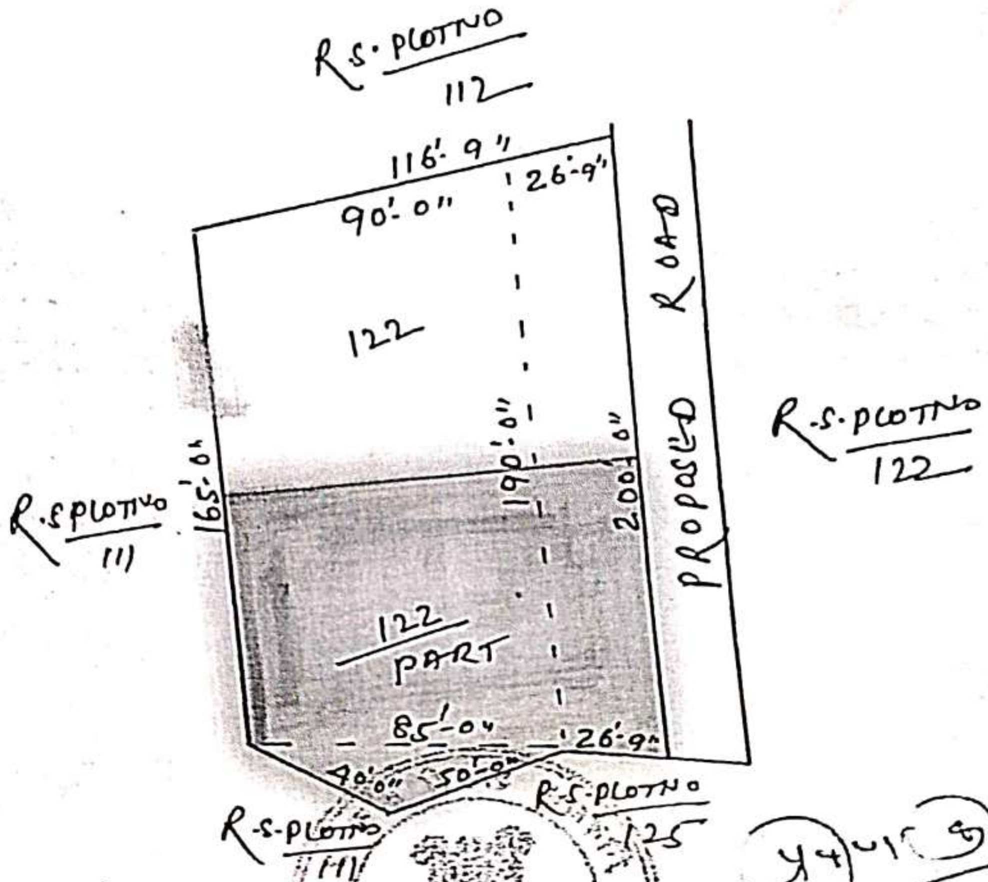

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

Copied by

For Linkline Marketing Private Limited
Director

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

SP: Form No. V 40

Correction Slip Showing Mutation in Respect of Tenancies in Estates Vested in Govt.

Dist: Ranchi | Subdivision – Ranchi Sadar | Anchal – Sahar | Halka No. | State-Jharkhand

Sl No.	Mutation case No. in Register 27	Village	Thana and Thana No.	No. Tenancy to which the Mutation Relates	Authority Sanctioning Mutation with date of order	Whether Mutation Due to sale, Gift Exchange Parttion or succession	Full Details of Exchange Effectee by Mutation	Date of Correction of the Halka Register by the K/C	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8380 R 27/~~12-13~~ 11-12	मौजा [illegible]	थाना नम्बर 107	खाता 65, प्लॉट 122, रकबा 12 [illegible], वार्षिक लगान 25/- [illegible]	अंचल अधिकारी शहर, रॉंची दिनांक 14.07.12	रजि0 पट्टा सं0 178 दिनांक 23.02.12	क्रेताः लिंकलाइन मार्केटिंग प्रा. लि. [illegible] [illegible] के नाम से कॉलम 5 में वर्णित भूमि पंजी II के जिल्द संख्या ---------- पृष्ठ सं0 .... का जमाबन्दी रैयत से खारिज कर नामांतरण स्वीकृत किया जाता है।		103 / XII

Forwarded to the Karamchari Halks No ---------------- Village ---------------- For Information and Necessary Action

Forwarded to Sri/Smt. ---------------- For Information

Circle Officer
Sahar, Ranchi.
14/07/12

Memo No. 1504 Date 24.11.12

For Linkline Marketing Private Limited
Director

GAUTAM KUMAR
RMC/ARC/0036/2019

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

BACK

झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिकार अभिलेख

रैयत का नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता

वुकरा मुंडा, पेशरान - शनीचरवा मुंडा, वहीशा वराबर, जाति- मुण्डा, निवासी- शाकीन देह व वंधना पाहन, वल्द - बिरसा पाहन वरीसा, , जाति- मुण्डा, निवासी- शाकीन देह व वीनशापनी मुंडा, पेशरान - शनीचरवा मुंडा, वहीशा वराबर, जाति- मुण्डा, निवासी- शाकीन देह

जिला का नाम	राँची	अचंल का नाम	हेहल	हलका का नाम	हल्का-01	मौजा का नाम	भीठा	खाता का प्रकार	रैयती
खेवट नम्वर	1	खाता नम्वर	65	थाना का नाम	राँची	थाना नम्वर	187		

खाता नम्वर	खेसरा नम्वर	चौहद्दी उत्तर 3 चौहद्दी दक्खिन 4	किस्म जमीन	मिजान		कैफियत / अभ्युक्ति	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान/सेस	लगान			खास शर्त
(1)	(2)	(3)	किआरी संख्या (5)			(8)	(9)	रौ (10)	आ (11)	पै (12)	(13)
65								0	0	0	कायमी
	122	?. दोन बुकरा उराँव ?. दोन मुशमात बीबी मनीरत	दोन एक 9	1 एकड़	54 डिसमील	वकवजे बुकना उराँव मुडा वो पीनशपल मुडा ननई वकवजे शेख महमद इमरान वल्द शेख नजीर अली कौम शेख शाकीन देह नायी मुडा भुरदीन मुशमात 36-0-0 छतीस रुपैया					
	123	?. परती कदीम ?. दोन बुचुआ उराँव	दोन एक 8	1 एकड़	48 डिसमील	वकवजे वंचना पाशनमाई वकवजे अबदुल 1मान वल्द शेख कौम शाकीन देह नायी मुशमात मोताविक 345-0-0					
	310	?. रास्ता ?. मुशमात मनीनत	टाड़ एक 1	0 एकड़	3 डिसमील	वकवजे वंचना पाहन					
	311	?. रास्ता ?. टाड़ वुकरा मुंडा वगैरह	मकान/1,सहन/1 0	0 एकड़	1 डिसमील	वकवजे वंचना उराँव					
	312	?. रास्ता ?. टांड़ नीज	मकान/1,सहन/1 0	0 एकड़	2 डिसमील	वकवजे वुकरा मुडा वगैरह वशरह नम्बर 122					
	314	?. मकान नीज ?. रास्ता	टाड़ एक 1	0 एकड़	4 डिसमील	वकवजे वुकरा मुडा वगैरह					

						वशरह नम्बर 122 इमली कुल हक वकवजे इजमाल रैयत					
	379	?. दोन वंचना पाहन ?. शीपाने यन्हव	दोन एक 2	0 एकड़	19 डिसमील	वकवजे वुकरा मुंडा़ वगैरह वसरह नम्बर 122					
	380	?. दोन शखरमव अली ?. दोन वुकरा मुडा़	दोन एक 2	0 एकड़	4 डिसमील	वकवजे वंचना पाहन					
	583	?. दोन रोधा उराँव ?. दोन वंचना पाहन	दोन तीन 6	0 एकड़	60 डिसमील	वकवजे वुकरा मुंडा़ वगैरह वशरह नम्बर 122					
	584	?. दोन वुकरा मुडा़ ?. रास्ता	दोन तीन 5	0 एकड़	78 डिसमील	वकवजे वुकरा मुडा़ वगैरह वशरह नम्बर 122					

खाता मे कुल प्लोट संख्या	10	खाता का कुल मिजान (खतियान के अनुसार)	4	73	खाता का कुल लगान	0 0 0	

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है 5/6/2024

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है|

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें |